कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः– श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :– **सर्वश्री अखिलेश्वर शर्मा, वैश्य सिल्क मिल्स लि0, सी0के0–23/23, रानी कौन चौक, वाराणसी ।**

प्रा0प0सं0– **302/2008**

प्रार्थी की ओर से– **कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा–59 के अर्न्तगतनिर्णय

।– प्रार्थी के द्वारा दिनांक 19–06–08 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा निम्न वस्तुओं पर कर की दर की जानकारी चाही गयी हैः–

Whether Input Tax Credit is admissible in respect of tax paid on packing material like carton, packing case ,plastic rassi, plastic sheet bag used in the packing of taxtiles goods when such taxtiles is sold in the course of export of the goods out of the territory of india ?

2– व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड–। वाणिज्य कर, वाराणसी जोन, वाराणसी ने अपने पत्र संख्या–1277 दिनांक21–07–08द्वारा व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर आख्या प्रेषित की गयी है।

3– धारा–59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि पर न ही कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया 1 ऐसी स्थिति में व्यापारी के धारा–59 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण एकपक्षीय रुप से किया जाना न्याय संगत होगा ।

4– मेरे द्वारा व्यापारी के धारा–59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का परिशीलन किया गया। व्यापारी द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है वह वैट अधिनियम की धारा धारा–59 (।) एइएबएकएम के अन्तर्गत नहीं आते है । अतः व्यापारी का प्रार्थना पत्र धारा–59 की परिधि में न आने के कारण धारा–59 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

5– इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

ह0/25–2–09

दिनांकः: 25 फरवरी, 2009

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।